

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार,
औषधि निरीक्षक,
पश्चिम चम्पारण - 4
नरकटियागंज अनुमंडल, पश्चिम चम्पारण

पटना, दिनांक-.....

विषय : विदेश यात्रा (बाली इण्डोनेशिया) के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक - 03.10.2016 के प्रसंग में सूचित करना है आपको अपनी पत्नी के साथ निजी खर्च पर नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक - 16.11.2016 से दिनांक - 22.11.2016 तक विदेश यात्रा (इण्डोनेशिया) की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. अवकाश अवधि का विस्तार नहीं करेंगे।
2. प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
3. यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
5. प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेंगे।
6. प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत् अपना योगदान करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 115415) /स्वा०, पटना, दिनांक - 14/11/16

प्रतिलिपि - अवर सचिव, वित्त (बै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग एवं आपदा प्रबंधन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सहायक औषधि नियंत्रक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय बेव-साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना